



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-11082020-221065
CG-DL-W-11082020-221065

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 8] नई दिल्ली, जुलाई 19—जुलाई 25, 2020, शनिवार/ आषाढ़ 28—श्रावण 3, 1942
No. 8] NEW DELHI, JULY 19—JULY 25, 2020, SATURDAY/ASADHA 28—SRAVANA 3, 1942

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 4
PART II—Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश
Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, 30 जून, 2020

का.नि.आ. 11.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और रक्षा मंत्रालय, भारतीय वायुसेना (समूह 'ग'), अग्निशमन कर्मचारीवृन्द, भर्ती नियम, 2013 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, रक्षा मंत्रालय, भारतीय वायुसेना समूह 'ग' अग्निशमन कर्मचारीवृन्द के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, भारतीय वायुसेना, अग्निशमन कर्मचारीवृन्द (समूह 'ग' पद), भर्ती नियम, 2020 है।

- (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. **लागू होना .-** ये नियम इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।
3. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर .-** उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
4. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि .-** उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
5. **निरर्हता .-** वह व्यक्ति -
- (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है या विवाह करने की संविदा की है, या
- (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह करने की संविदा की है,
- उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :
- परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।
6. **शिथिल करने की शक्ति .-** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
7. **व्यावृत्ति .-** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर
(1)	(2)	(3)	(4)
1. स्टेशन अधिकारी	26* (2020) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-5 (₹ 29200-92300)

चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(5)	(6)	(7)
अचयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / आमेसन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति : ऐसे लीडिंग फायरमैन और फायर इंजिन ड्राइवर जिनकी वेतन मैट्रिक्स में स्तर-3 (21700-69100 रु.) श्रेणी में आठ वर्ष की नियमित सेवा हो और जिन्होंने अग्नि, विस्फोट एवं पर्यावरण सुरक्षा केन्द्र, रक्षा अनुसंधान और विकास संस्थान, नई दिल्ली से ज्येष्ठ अग्निशमन पर्यवेक्षक पाठ्यक्रम या राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा महाविद्यालय, नागपुर से सब-ऑफिसर पाठ्यक्रम या और कोई समतुल्य सरकारी मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम किया हो। टिप्पण : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:- (1) विंग कमांडर या समतुल्य या ऊपर की पंक्ति का ऑफिसर - अध्यक्ष; (2) स्क्वाड्रन लीडर या समतुल्य की पंक्ति का ऑफिसर - सदस्य; (3) प्रोन्नति करने वाले अनुभाग से असंबद्ध एवं अपेक्षित तकनीकी ज्ञान रखने वाला कमीशंड ऑफिसर - सदस्य।	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)
2. लीडिंग फायरमैन	86* (2020) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-3 (₹ 21700-69100)

(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
अचयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा

(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति : ऐसे फायरमैन जिनकी वेतन मैट्रिक्स में स्तर-2 (19900-63200 रु.) श्रेणी में तीन वर्ष की नियमित सेवा हो और विभाग द्वारा विहित व्यवसायिक परीक्षा उत्तीर्ण करने के अध्यक्षीन हैं।	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:- (1) विंग कमांडर या समतुल्य या ऊपर की पंक्ति का ऑफिसर - अध्यक्ष; (2) स्क्वाड्रन लीडर या समतुल्य की पंक्ति का ऑफिसर - सदस्य; (3) प्रोन्नति करने वाले अनुभाग से असंबद्ध एवं अपेक्षित तकनीकी ज्ञान रखने वाला कमीशंड ऑफिसर - सदस्य।	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)
3. अग्निशमन इंजिन ड्राइवर	9* (2020) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-3 (₹ 21700-69100)

(5)	(6)	(7)
अचयन	18 और 25 वर्ष के बीच। सरकारी सेवकों के लिए साधारण अभ्यर्थियों के मामले में चालीस वर्ष और अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों से संबंधित अभ्यर्थियों के मामले में पैंतालीस वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। टिप्पण 1: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, केन्द्र शासित प्रदेश लद्दाख, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले एवं चम्बा जिले के पांगी उप-खंड, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है। टिप्पण 2: रोजगार कार्यालय के माध्यम से नियुक्ति के मामले में आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है।	आवश्यक : (i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेशन या समतुल्य अर्हता। (ii) भारी यान चलाने का कम से कम तीन वर्ष का अनुभव हो और उसके पास किसी सरकार द्वारा जारी विधिमान्य चालन अनुज्ञप्ति हो। (iii) शारीरिक रूप से स्वस्थ और कठिन कर्तव्यों का पालन करने में समर्थ हो और उसने नीचे टिप्पण-1 में विनिर्दिष्ट परीक्षण उत्तीर्ण किया हो। या समुचित व्यवसाय का भूतपूर्व सैनिक हो। वांछनीय : (i) विभिन्न प्रकार के अग्निशमन साधनों के अनुरक्षण और प्रचालन से सुपरिचित हो। (ii) किसी नियमित सिविल या रक्षा दमकल दल में फायरमैन के रूप में किसी भी सरकारी संस्थान में कार्य करने का अनुभव हो। (iii) किसी सरकारी मान्यताप्राप्त संस्थान से साधारण अग्निशमन पाठ्यक्रम उत्तीर्ण हो।

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	सीधे भर्ती हुए व्यक्तियों और अधिवर्षिता के पश्चात पुनर्नियोजित भूतपूर्व सैनिकों के लिए दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण या पुनर्नियोजन द्वारा

(11)	(12)	(13)
स्थानान्तरण पर प्रतिनियुक्ति या पुनर्नियोजन : सशस्त्र बल के ऐसे कर्मियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानान्तरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास अपेक्षित अनुभव और विहित अर्हताएं हैं। ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है ; तत्पश्चात उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है। टिप्पण 1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।	समूह 'ग' विभागीय पुष्टीकरण समिति (पुष्टीकरण के संबंध में विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:- (1) विंग कमांडर या समतुल्य या ऊपर की पंक्ति का ऑफिसर - अध्यक्ष; (2) स्क्वॉड्रन लीडर या समतुल्य की पंक्ति का ऑफिसर - सदस्य; (3) प्रोन्नति करने वाले अनुभाग से असंबद्ध एवं अपेक्षित तकनीकी ज्ञान रखने वाला कमीशंड ऑफिसर - सदस्य।	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)
4. फायरमैन	317* (2020) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिबीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-2 (₹ 19900-63200)

(5)	(6)	(7)
लागू नहीं होता	18 और 25 वर्ष के बीच। सरकारी सेवकों के लिए साधारण अभ्यर्थियों के मामले में चालीस वर्ष की आयु और अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों से संबंधित अभ्यर्थियों के मामले में पैंतालीस वर्ष की आयु तक शिथिल की जा सकती है। टिप्पण 1: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, केन्द्र शासित प्रदेश लद्दाख, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति	आवश्यक : (i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेशन या समतुल्य अर्हता। (ii) किसी राज्य अग्निशमन सेवा या मान्यताप्राप्त प्रसिद्ध संस्थान से अग्निशमन का प्रशिक्षण प्राप्त हो। (iii) सभी प्रकार के अग्निशमन, हौज फिटिंग और अग्निशमन सधित्रों और उपस्करों जैसे दमकल अनुयान, ट्रेलर फायर पम्पों व फोम ब्रांच आदि के उपयोग तथा अनुरक्षण से सुपरिचित हो।

	जिले एवं चम्बा जिले के पांगी उप-खंड, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है। टिप्पण 2: रोजगार कार्यालय के माध्यम से नियुक्ति के मामले में आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है।	(iv) शारीरिक रूप से स्वस्थ और कठिन कर्तव्यों का पालन करने में समर्थ हो और उसने नीचे टिप्पण-1 में विनिर्दिष्ट परीक्षण उत्तीर्ण किया हो। या समुचित व्यवसाय का भूतपूर्व सैनिक हो। वांछनीय : (i) विभिन्न प्रकार के अग्निशमन साधित्रों के अनुरक्षण और प्रचालन से सुपरिचित होना चाहिए। (ii) किसी नियमित सिविल या रक्षा दमकल दल में फायरमैन के रूप में किसी भी सरकारी संस्थान में कार्य करने का अनुभव हो। (iii) किसी सरकारी मान्यताप्राप्त संस्थान से साधारण अग्निशमन पाठ्यक्रम उत्तीर्ण हो।
--	--	---

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	सीधे भर्ती हुए व्यक्तियों और अधिवर्षिता के पश्चात पुनर्नियोजित भूतपूर्व सैनिकों के लिए दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण या पुनर्नियोजन द्वारा

(11)	(12)	(13)
स्थानांतरण पर प्रतिनियुक्ति या पुनर्नियोजन : सशस्त्र बल के ऐसे कर्मियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानांतरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास अपेक्षित अनुभव और विहित अर्हताएं हैं। ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है; तत्पश्चात उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है। टिप्पण 1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।	समूह 'ग' विभागीय पुष्टीकरण समिति (पुष्टीकरण के संबंध में विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:- (1) विंग कमांडर या समतुल्य या ऊपर की पंक्ति का ऑफिसर - अध्यक्ष; (2) स्क्वाड्रन लीडर या समतुल्य की पंक्ति का ऑफिसर - सदस्य; (3) प्रोन्नति करने वाले अनुभाग से असंबद्ध एवं अपेक्षित तकनीकी ज्ञान रखने वाला कमीशंड ऑफिसर - सदस्य।	लागू नहीं होता।

टिप्पण-1

शारीरिक परीक्षा

स्तंभ 7 और 11 के अधीन निर्दिष्ट शारीरिक उपयुक्तता आदि का परीक्षण निम्नानुसार हैं :

1. बिना जूता पहने ऊँचाई : 165 से.मी अनुसूचित जनजातियों से संबंधित सदस्यों को ऊँचाई में 2.5 से.मी की छूट दी जा सकती है।
2. छाती (बिना फुलाए) : 81.5 से.मी.
3. छाती (फुलाने पर) : 85.0 से.मी.
4. वजन : न्यूनतम 50 किलोग्राम
5. क्षमता परीक्षण :
 - (क) आदमी ढोना (फायरमैन द्वारा 63.5 किलो को 96 सेकेंड के भीतर 183 मीटर की दूरी तक उठाकर ले जाना)।
 - (ख) 2.7 मीटर चौड़ी खाई दोनों पैर से पार करना (लम्बी कूद)।
 - (ग) हाथ और पैर से 03 मीटर उर्ध्वाकार रस्सी पर चढ़ना।

[फा. सं. वा. से. मु./23049/आर आर/एफ एफ/पी सी (आर आर और खेलकूद)/127/र. (नि.)/2020]

एस एस एस सर्मा, निदेशक (स्थापना एवं सी पी)

MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 30th June, 2020

S.R.O. 11.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Defence, Indian Air Force (Group 'C'), Fire Fighting Staff, Recruitment Rules, 2013, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the Group 'C' posts of Fire Fighting Staff in Indian Air Force, Ministry of Defence, namely:-

1. **Short title and commencement .—** (1) These rules may be called the Ministry of Defence, Indian Air Force, Fire Fighting Staff (Group 'C' Post) Recruitment Rules, 2020.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. **Application.**—These rules shall apply to the posts specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.
3. **Number of posts, classification and level in pay matrix .—**The number of the said posts, their classification and Level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.
4. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc .—**The method of recruitment to the said posts, age-limit, educational qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
5. **Disqualification .—** No person ,—
(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

Shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from operation of this rule.

6. **Power to relax .**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provision of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Saving .**—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of the age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of posts (1)	Number of posts (2)	Classification (3)
1. Station Officer	26* (2020) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial

Level in pay matrix (4)	Whether selection post or non-selection post (5)	Age-limit for direct recruits (6)
Level-5 in the pay matrix (₹ 29200-92300)	Non-selection	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits (7)	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees (8)	Period of probation, if any (9)	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods (10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	By promotion

In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption, grade from which promotion or deputation / absorption to be made (11)	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition? (12)	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment (13)
Promotion: Leading Firemen and Fire Engine Driver in level-3 in the pay matrix (₹ 21700-69100) with eight years regular service in the grade subject to possessing the qualification of Senior Fire Supervisors Course from Centre for Fire, Explosive and Environment Safety, Defence Research & Development Organisation, New Delhi or the Sub-officers course from the National Fire Services College, Nagpur or any other similar Government recognised course. Note : Where juniors who have completed their qualifying eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.	Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :- 1. Officer of the rank of Wing Commander or equivalent or above - Chairperson; 2. Officer of the rank of Squadron Leader or equivalent - Member; 3. Commissioned Officer with requisite technical knowledge and not related with the section where promotions are to be made - Member.	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)
2. Leading Fireman	86* (2020) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial	Level-3 in the pay matrix (₹ 21700-69100)

(5)	(6)	(7)	(8)
Non-selection	Not applicable	Not applicable	Not applicable
(9)	(10)	(11)	
Not applicable	By promotion	Promotion: Fireman in level-2 in the pay matrix (₹ 19900-63200) with three years regular service in the grade and subject to passing the prescribed departmental trade test	

(12)	(13)
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :- 1. Officer of the rank of Wing Commander or equivalent or above 2. Officer of the rank of Squadron Leader or equivalent 3. Commissioned Officer with requisite technical knowledge and not related with the section where promotions are to be made	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)
3. Fire Engine Driver	9* (2020) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial	Level-3 in the pay matrix (₹ 21700-69100)

(5)	(6)	(7)	(8)
Non-selection	Between 18 and 25 years. Relaxable for Government servants upto the age of forty years in the case of General candidates and forty-five years in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes. Note 1: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Union Territory of Ladakh, Lahaul and Spiti District and Pangti Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep. Note 2: In the case of recruitment made through employment exchange, the crucial date for determining the age-limit shall be the last date upto which the employment exchange is asked to submit the names.	Essential: (i) Matriculation or equivalent qualification from a recognised Board. (ii) Must have atleast three years experience of driving heavy vehicle and be in possession of valid driving license issued by the any Government. (iii) Must be physically fit and capable of performing strenuous duties and must have passed the test specified in Note-1 below. Or Ex-servicemen of appropriate trade. Desirable: (i) Having experience in maintenance and operation of various types of Fire appliances. (ii) Experience of having worked in a regular Civil or Defence Fire Brigade as Fireman from any Government. (iii) Have passed the General Fire Fighting Course from any Government recognised institute.	Not applicable.

(9)	(10)	(11)
-----	------	------

Two years for direct recruits and re-employed Ex-servicemen after superannuation	By direct recruitment failing which by transfer on deputation/ re-employment	Transfer on deputation or re-employment: The Armed Forces Personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having the requisite experience and qualifications prescribed shall also be considered. Such persons would be given deputation terms upto the date on which they are due on relief from the Armed Forces; thereafter they may be continued on re-employment. Note 1: The departmental candidates who are in the feeder category will not be eligible for consideration of appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for appointment by promotion. Note 2: The period of deputation including period of deputation in another Ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the central government shall ordinarily not exceed three years. Note 3: The maximum age-limit for appointment on deputation shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of the application.
--	--	---

(12)	(13)
Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :- 1. Officer of the rank of Wing Commander or equivalent or above - Chairperson; 2. Officer of the rank of Squadron Leader or equivalent - Member; 3. Commissioned Officer with requisite technical knowledge and not related with the section where promotions are to be made - Member.	Not applicable

(1)	(2)	(3)	(4)
4. Fireman	317* (2020) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial	Level-2 in the pay matrix (₹ 19900-63200)

(5)	(6)	(7)	(8)
Not applicable	Between 18 and 25 years. Relaxable for Government servants upto the age of forty years in the case of General candidates and forty-five years in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes. Note 1: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Union Territory of Ladakh, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep. Note 2: In the case of recruitment made through employment exchange, the crucial date for determining the age-limit shall be the last date upto which the employment exchange is asked to submit the names.	Essential: (i) Matriculation or equivalent qualification from a recognised Board. (ii) Must have undergone training in Fire Fighting under a State fire service or a recognised institute of repute. (iii) Must be conversant with the use and maintenance of all types of extinguishers, Hose Fittings and Fire appliances and equipments like Fire Engines, Trailer Fire Pumps and Foam Branches. (iv) Must be physically fit and capable of performing strenuous duties and must have passed the test specified in Note-1 below. Or Ex-servicemen of appropriate trade. Desirable: (i) Should be familiar with maintenance and operation of various types of Fire appliances. (ii) Experience of having worked in a regular Civil or Defence Fire Brigade as Fireman from any Government. (iii) Have passed the General Fire	Not applicable

		Fighting Course from any Government recognised institute.	
--	--	---	--

(9)	(10)	(11)
Two years for direct recruits and re-employed Ex-servicemen after superannuation.	By direct recruitment failing which by transfer on deputation/ re-employment.	Transfer on deputation or re-employment: The Armed Forces Personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having the requisite experience and qualifications prescribed shall also be considered. Such persons would be given deputation terms upto the date on which they are due on relief from the Armed Forces; thereafter they may be continued on re-employment. Note 1: The departmental candidates who are in the feeder category will not be eligible for consideration of appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for appointment by promotion. Note 2: The period of deputation including period of deputation in another Ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the central government shall ordinarily not exceed three years. Note 3: The maximum age-limit for appointment on deputation shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of the application.

(12)	(13)
Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :- 1. Officer of the rank of Wing Commander or equivalent or above - Chairperson; 2. Officer of the rank of Squadron Leader or equivalent - Member; 3. Commissioned Officer with requisite technical knowledge and not related with the section where promotions are to be made - Member.	Not applicable.

Note-1**Physical Examination**

Test as to physical fitness etc. referred to in Column 7 and 11 shall be as under:

- Height without shoes : 165 cms provided that concession of 2.5 cms in height shall be allowed for members of the Scheduled Tribes;
- Chest (non-expanded) : 81.5 cms
- Chest (upon expansion) : 85.0 cms
- Weight : 50 Kgs minimum
- Endurance Test : (a) Carrying a man (fireman lift of 63.5 kgs to a distance of 183 meters within 96 seconds)
(b) Clearing 2.7 meters wide ditch landing on both feet (long jumps)
(c) Climbing 3 meters vertical rope using hands and feet.

[F. No. Air HQ/23049/RRs/FF/PC-RRs & Sports/127/D (Appts)/2020]
 SSS SARMA, Director (Estt & CP)